राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(9)न्याय/2017 जयपुर, दिनांक 5.10.17

:: परिपत्र ::

सभी विभागों में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी मोनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभागों में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की नियमित समीक्षा एवं मोनिटरिंग के लिए प्रकरणों की संख्या के अनुरूप निर्धारित मापदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार राजस्थान विधि सेवा के सहायक विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी एवं अन्य पदों के पुनर्गठन/सृजन के संबंध में पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भिजवाए जाने है। इसके लिए निम्न सूचना इस विभाग में (हार्ड कॉपी) एवं विभागीय ई–मेल आई.डी. law.dept@rajasthan.gov.in (सॉफ्ट कॉपी) इस विभाग को 15 दिवस में भिजवाने का श्रम करें:–

1. विधायी प्रारूपण संबंधी कार्यों की संख्या तथा औचित्य (अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं उपनियमों आदि के प्रारूपण एवं उनमें संशोधन आदि का प्रारूप बनाना)
2. विधिक मामलों का परीक्षण एवं परामर्शी संबंधी कार्यों की संख्या।
3. निम्न वादकरण संबंधी प्रकरणों की संख्या एवं निर्धारित मापदण्डः–
   A. नोटिस, याचिका, जवाबदावें इत्यादि का परीक्षण एवं परामर्श
   B. अपीलीय मामले एवं निर्णय आदि का परीक्षण एवं परामर्श
   C. विभागीय विशिष्ट विधिक कार्य।
4. विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों यथा वाद एवं अवमानना के प्रकरणों की संख्या एवं निर्धारित मापदण्ड।

05/10/17

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद/ समस्त निदेशक/समस्त विभाग
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

05-10-17

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER.docx